परिपत्र सं. 13 /2014-सीमाशुल्क

फा.सं..609/118/2014-डीबीके

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 18 नवम्बर, 2014

सेवा में,

सभी मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक)
सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद / सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी महानिदेशक
सभी आयुक्त, सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक)
सभी आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद /सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद / सेवा कर

विषय:- 22.11.2014 से प्रभावी शुल्क प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों -के बावत।

महोदया/महोदय,

इस मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 110/2014-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 17.11.2014 के तहत शुल्क प्रतिअदायगी की संशोधित अखिल औद्योगिक दरों को अधिसूचित कर दिया है। यह अधिसूचना 22.11.2014 से लागू होगी।

2. शुल्क प्रति अदायगी की अखिल औद्यागिक दरों के संबंध में अधिसूचित परिवर्तनों और अनुसूची की प्रविष्टियों में से कुछ व्यापक पहलू निम्नलिखित हैं:-

(क) पहले की तरह, प्रतिअदायगी की दरों को कई व्यापक औसत पैरामीटरों के आधार पर निर्धारित किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आदानों की प्रचलित कीमतें, आदान-निर्गत मानक, आदानों की खपत में आयात का हिस्सा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा की लागू दरें, निर्यात माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में आदान सेवाओं के रूप में प्रयुक्त कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर के भार की आढ़त, एचएसडी/ फर्नेस ऑयल पर लगाए गए शुल्क के भार की आढ़त, निर्यात वस्तुओं की कीमत इत्यादि शामिल है।

(ख) बहुत सी मदें, जो कि पूर्व की डीईपीबी मदों के समाविष्ट होने से पूर्व प्रतिअदायगी अनुसूची में पहले ही शामिल थी उनमें शुल्क की प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों में कुछ

परिवर्तन होगा। सामयिक व्यवस्था के अनुक्रम में, पूर्व डी.ई.पी.बी. योजना से प्रतिअदायगी अनुसूची में समाविष्टि मदों के संबंध में अखिल औद्योगिक दरों में कटौती होगी।

(ग) अधिकांश टैरिफ मदों जिनकी अखिल औद्योगिक दर 2 प्रतिशत से अधिक है, के मामले में, प्रतिअदायगी की सीमा जारी रहेगी। गौर गम और फ्रोजन समुद्री उत्पादों पर 2 प्रतिशत से कम पर भी सीमा जारी रहेगी।

(घ) इसके अलावा, प्रौजेक्ट निर्यात के मामले में, जहां निर्यात उत्पाद के साथ एआरई-1 है तथा जिसके लिए अनुसूची में कोई प्रतिअदायगी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अखिल औद्योगिक दर की अधिसूचना की शर्त/नोट (6) में अब सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों को निर्यातक द्वारा घोषित किया जाएगा तथा अनुसूची के अंतर्गत प्राप्त की जा सकने वाली प्रतिअदायगी की अधिकतम राशि, प्रतिअदायगी की यथा मूल्य दर को एआरई-1 का डेढ़ गुणा करके गणना की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में निर्यात आदेश अनुमति दिए जाने से पूर्व, संगत एआरई-1 की कीमतों को "विभागीय टिप्पणियों" में दर्ज करना होगा जिसे बाद में प्रतिअदायगी प्रोसेसिंग के चरण में भी ध्यान में रखना होगा।

(ङ) कई प्रविष्टियों को, उनके चार अंकीय स्तर पर अथवा उनके उप-शीर्षक 'अन्य' के साथ विलय करके युक्तियुक्त बनाया गया है। कई मामलो में टैरिफ मदों की संख्या में परिवर्तन हैं।

(च) 1% (संयोजक) और 0.3 % (सीमा शुल्क) की पूर्व अवशिष्ट दरों को परिवर्तित करके 1% (संयोजक) और 0.15% (सीमा शुल्क) कर दिया गया है। इसके अलावा, 1.3% और 1.7% की मौजूदा अवशिष्ट दरों को, कुछ अपवादों के साथ, बढ़ाकर क्रमश: 1.4% और 1.9% कर दिया गया है।

(छ) अध्याय 57 में 5705 के अन्तर्गत छ: अंकीय टैरिफ मद (टी आई) को रेशे की संरचना का संदर्भ देने के लिए परिवर्तित कर दिया गया है तथा यह अन्य चार अंकीय टैरिफ मदों के अन्तर्गत है। इसके अलावा, अध्याय में कुछ मदों के संबंध में सभी सीमाओं (कैप) को पूर्व प्रति कि. ग्रा. के बजाय प्रति वर्ग मीटर के आधार पर कर दिया गया है ।

(ज) मंत्रालय के ध्यान में लाए गए मुद्दों का निवारण करने के लिए कई प्रविष्टियों को संशोधित किया गया है। लैपटाप बैग और शापिंग बैग को विशिष्ट रूप से छ: अंकीय स्तर पर टी आई 4202 के नीचे रखा गया है, ''कैमी'' को महिलाओं/ लड़कियों के टॉप में टी आई 611402 और 621102 में शामिल किया गया है; "कैप्रिज" सहित "तीन चौथाई पैंट" को टी आई 610302, 610402, 620302 और 620402 में शामिल किया गया है; और "लैगिंग्स" को टी आई 610402 में शामिल किया गया है। "अन्य जैकेटों" के लिए प्रविष्टि टी आई 6114 और 6211 के नीचे की गई है। पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाली दोपहिया साइकलों को टी आई 871203 में

विनिर्दिष्ट किया गया है। इंगलिश बेंत से बने क्रिकेट के बल्ले (टी आई 9506) की क्रिकेट के अन्य बल्लों से अलग पहचान की गई है।

(झ) कतिपय निर्यात उत्पादों की पहचान करने के लिए अलग-अलग प्रविष्टियां की गई हैं जैसे कि 50 काऊंट से कम अथवा 50 व 50 काऊंट से अधिक का सूती धागा (अध्याय- 52); कोर स्पन का सूती धागा जिसमें 3 प्रतिशत या इससे अधिक लाइक्रा/ स्पैन्डैक्स/ इलैस्टेन (टी आई 5205) हो; आर्गेनिक फास्फोरस संयोजक के साथ उपचारित उष्मारोधी धागा (टी आई 5209); (जानवरों के महीन बालों/ऊन के गांठ लगे/कलगीदार कालीन जिनमें भार के अनुसार 15 प्रतिशत अथवा अधिक रेशम है (टी आई 5701, 5703)); फ्लैक्स/ लिनेन में पीस, धारी अथवा नमूने वाली कढ़ाई (टी आई 5810); सूती कम्बल (टी आई 6301); संयोजित / कृत्रिम सामग्री के पंजे के सुरक्षात्मक कैप वाले चमड़े के सुरक्षा जूते (टी आई 6403); धातु के मिश्रण अथवा बिना मिश्रण के साथ दो अथवा इससे अधिक प्लाइ ग्लास से बने ग्लास आर्ट वेयर/ हस्थशिल्प (टी आई 7020); डिलीवरी के लीए तीन पहिया साईकल/ साईकल रिक्शा (टी आई 8712); एल्यूमिनियम के बिजली के विशिष्ट उपस्कर (टी आई 8536) और बिजली के विशिष्ट उपस्करों के लिए एल्यूमिनियम के पार्ट्स (टी आई 8538)।

(ञ) एच डी पी ई/ एल डी पी ई/ पी पी बैग्स (टी आई 2507) में पैक की गई कैल्साइंड चीनी मिट्टी के लिए, अध्याय 66 की छतरियों के लिए और कृत्रिम फूलों इत्यादि (टी आई 6702) के लिए अखिल औद्योगिक दर का प्रावधान किया गया है ! कृषि के सभी यंत्रों इत्यादि के लिए (टी आई 8432) 7 प्रतिशत की संयोजक दर का प्रावधान किया गया है।

(ट) स्वर्ण आभूषणों/ इसके हिस्सों के लिए 219.9 रूपए/प्रति ग्राम और चांदी के आभूषणों और इसके हिस्से के लिए 3112.5 रूपए/प्रति कि. ग्राम की दर से अखिल औद्योगिक दर निर्धारित की गई है। गौर गम के लिए 0.75 प्रतिशत की यथा मूल्य दर (संयोजक) जिसमे 1270 रूपए/ प्रति एमटी की सीमा का प्रावधान किया गया है।

(ठ) अखिल औद्योगिक दर की अधिसूचना की शर्त/नोट (20) में यह विनिर्दिष्ट है कि "कमीजों" में "कनटोप के साथ कमीज'' शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार, नोट (25) में यह विनिर्दिष्ट है कि अध्याय 87 के ''वाहनों'' में पूर्ण रूप से तैयार एकक अथवा पूर्ण रूप से विघटित (सीकेडी) एकक अथवा आंशिक रूप से विघटित (एसकेडी) एकक शामिल होगा।

3. यह सुस्पष्ट किया गया है कि जहां कहीं अखिल औद्यागिक दर के संदर्भ में शुल्क की प्रतिअदायगी का दावा भरा जाता है, वहां सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी, नियमावली, 1995 के नियम 7 के अन्तर्गत ब्रांड दर के निर्धारण का आवेदन अनुज्ञेय नहीं होगा। इस कार्य के लिए अधिसूचना के पैरा 2 और दिनांक 17.11.2014 की अधिसूचना संख्या-109/2014 - सीमा शुल्क (गै.टे.) द्वारा उक्त नियमावली में किए गए संशोधन का संदर्भ लिया जाए।

4. इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्रांड रेट का दावा करने वाले निर्यातक, प्रतिअदायगी ब्यौरे के अन्तर्गत शिपिंग बिल में पहचानकर्ता के रूप में आंकड़े ''9801'' को घोषित करेंगे जिसके आधार पर वे ब्रांड रेट के निर्धारण के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 11.10.2013 के अनुदेश संख्या 603/01/2011-डीबीके के पैरा 5क- 5ग की शर्तों के अनुसार ऐसे आयातकों को अनंतिम ब्रांड लैटर दिया जाना सुकर बनाएंगे।

5. आयुक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे यथोचित सावधानी सुनिश्चित करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न होने पाये। पहले की तरह यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अपने अखिल औद्योगिक दरों का दावा करते समय निर्यात कर्ता ऐसी कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर को अन्य किसी तंत्र से वापस न ले पाए जिनका की उपयोग निर्यात माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण के कार्य में आदान सेवा के रूप में किया गया हो। इसके अलावा ऐसी सतत जांच-पड़ताल जारी रखने की जरूरत है जिससे शिपिंग बिल में मद के ब्यौरों और प्रतिअदायगी के ब्यौरों में की गई घोषणाओं में बेमेल होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिअदायगी न ली जा सके। अखिल औद्योगिक दर की संयोजित (उच्च) दर के दावे के मामले में, निर्यात के समय प्रोसेसिंग में उस स्तर पर 'सेनवेट प्रमाणपत्र का उपयोग नहीं किए जाने' की उपलब्धता विशिष्ट रूप से सुनिश्चित की जाए।

6. यह अनुरोध है कि बोर्ड की वेबसाइट (www.cbec.gov.in) से अधिसूचना को डाऊनलोड किया जाए तथा सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करके अधिसूचित किए गए सभी विशिष्ट परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए।

7. व्यापार सुविधा को देखते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रतिअदायगी समिति का कार्यकाल अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया है। यदि कोई विसंगति अथवा त्रुटि देखने में आती है अथवा किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो बोर्ड को अवगत किया जाए ताकि समुचित कार्रवाई शुरू की जा सके।

8. व्यापार जगत और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस और स्थाई आदेश भी जारी किए जाएं।

(राजीव तलवार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार